फर्द अहकाम

रामसहाय बनाम गिरधारी

यालय

या

51/2018

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
29/11/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित [illegible] प्रतिपक्षी गण की ओर से जवाब तथा पेश नहीं किया जावाब बन्द किया जाकर बहस अंतिम सुनी गई बहस उपरान्त व पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन करने पर वाद नहीं डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। [illegible] 20. [illegible] हो [illegible] (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
वर्तमान पत्र : 51/2018
निर्णय दिनांक : 29.11.2024

1 रामसहाय पुत्र श्री नारायण जाति जाट निवासी ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर

वादी

बनाम

1. श्रीमती किशनी देवी पत्नी श्री नानूराम निवासी ग्राम मोहनपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर ।
2. श्रीमती नारायणी देवी पत्नी श्री बद्रीनारायण निवासी ग्राम सुखिया तहसील सांगानेर जिला जयपुर
3. श्रीमती मीरा देवी पत्नी श्री रमेश जाट निवासी ग्राम सायपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर
4. श्रीमती कानी देवी पत्नि स्व० श्री रामचन्द्र जाट निवासी ग्राम धोलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर
5. श्रीमती सायर देवी पत्नी श्री ज्ञानचन्द निवासी ग्राम घोलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर
6. श्रीमती गरदु देवी पुत्री श्री छोटूराम निवासी निवासी ग्राम धोलाई तहसील सांगानेर जिला जयपुर
7. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जेएलएन मार्ग जयपुर राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत 188 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक 29.11.2024

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा न० 1948 रकबा 0.24 है०, खसरा 0.34 न० 1949 रकबा 0.29 है०, खसरा न० 1955 रकबा 0.304 है०, खसरा न० 1956 रकबा 0.28 है०, खसरा न० 1956/5083 रकबा 0.01 है० कुल किता 5 कुल रकबा 1.16 है० सम्पूर्ण वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकित है। वादी उक्त आराजीयात मे अर्से दराज से कृपि काश्त करता आ रहा है तथा अपनी आराजी के चारो ओर कचची मिटटी की डोल अर्से दराज से बनी हुयी है जिसके पश्चिम साईड की सीमा पर वादी का कुआ व पानी के होद बने हुये है तथा विजली का केनक्शन लगा हुआ जिसको वादी अपने उपयोग उपभोग मे लेता आ रहा है। वादी की भूमि के पश्चिम साईड मे प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः अपनी निजी खातेदारी की योजना कृष्णा होम्स विकसीत कर रहे जिसके भूप्ररिवर्तन

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांग

[illegible] अनुमोदन की कार्यवाही प्रतिवादी सख्या सात के यहां की जा रही है। प्रतिवादी सख्या एक [illegible] के बदस्त रूप से नक्शा बनाकर वादी के खसरा न० 1956 व उसके पास के कुछ हिस्से [illegible] कब्जा करने व प्रतिवादी सख्या सात के यहा पर नक्शा अनुमोदन की कार्यवाही करने की [illegible] कार्यवाही करने पर उतारू है जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनन अधिकार नही [illegible] को उक्त कार्यवाही का दिनांक 24/11/2017 को पता चला तो वादी ने प्रतिवादी सख्या [illegible] के यहा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर ने कार्यवाही [illegible] 92 मे अंकित किया है "कि उक्त योजना का खसरा सुपरिमपोज पत्रावली मे सलंग्न [illegible] नक्शे से किया गया है। आपत्तिकर्त्ता के खसरा न० 1956 को कृष्णा होम्सके पार्किग में [illegible] कर लिया गया है। प्रकरण मे योजना का कैम्प नही लगाया जावे। अनुमोदित नक्शे को [illegible] किये जाने का निवेदन किया गया है। आपत्तिकर्त्ता के खसरा न० 1956 एवं कृष्णा होम्स के [illegible] का राजस्व विभाग द्वारा 7 दिवस मे सीमाज्ञान करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु कृष्णा होम्स [illegible] खातेदारो को सुचित किया जाना उचित होगा। एवं जब तक आपत्तिकर्त्ता का निस्तारण नही हो [illegible] तब तक कैम्प आयोजित किया जाना और कृष्णा होम्स के खातेदारो द्वारा सीमाज्ञान करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत नही की जाने पर अनुमोदन की कार्यवाही निरस्त किया जाना उचित हो।" इस चरण [illegible] मे यह लिखना भी आवश्यक है कि वादी का खसरा न. 1956 की मेड पर वादी का कुआ व [illegible] बने हुये है। जो वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड मे अंकित है। दिनांक 2/4/2018 को प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः व उसके पति कुछ दिगर व्यक्तियो के साथ वादी के कब्जे काश्त की भूमि [illegible] आये ओर जबरन मेड तोडने लगे। इस पर वादी ने उनका विरोध किया तो प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः के पति व उसने साथ आये लोगो वादी व वादी के परिवार के लोगो के साथ गांली गलौच करने लगे तथा मारपीट पर उतारू हो गये। इस कारण वादी को यह वाद पत्र वास्ते स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना लाजमी हुआ। वादी अपनी भूमि की सुरक्षा करने का कानूनन अधिकार रखते है अगर प्रतिवादीगण वादी की भूमि पर गैर कानूनी रूप से काबिज होकर प्रतिवादी सख्या सात के यहां से नक्शा अनुमोदित करवा लेते है तो वादी अपने हक हकुको की भूमि से महरूम हो जायेगे। साथ ही वादी की उक्त आराजीयात मे प्रतिवादीगण का कोई हक व अधिकार नही रखते हैं। वादी प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध करवाने के अधिकारी है कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा 1956, 1956/5083 वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के पश्चिम भाग मे लगी मिटटी की डोल को तोडकर वादी की भूमि पर किसी प्रकार से अवैध कब्जा नहीं करे, न ही किसी प्रकार का नक्शा अनुमोदित करवाये, तथा न ही किसी प्रकार की अन्य कोई गतीविधि प्रतिवादी सख्या सात के यहां करे तथा वादी के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। तथा प्रतिवादी सख्या सात को पाबन्ध फरमाया जावे कि वादी की भूमि का कोई हिस्सा दर्शाते हुये नक्शा उनमोदित नही करे। वाद कारण दिनांक 2/4/2018 को तब शुरू हुआ जब प्रतिवादी सख्या एक लगायत छः ने वादी की आराजी कृषि भूमि कि पश्चिम साईड की मिटटी की डोल तोडने की कौशिश करने से शुरू होकर निरन्तर जारी है।

अतः वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस प्रकार है डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्ध फरमाया जावे कि हाल आराजी कृषि भूमि खसरा 1956 रकबा 0.26 है०, खसरा न० 1956/5083 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के पश्चिम

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

में लगी मिटटी की डोल को तोडकर वादी की भूमि पर किसी प्रकार से अवैध कब्जा नही करे, ते किसी प्रकार का नक्शा अनुमोदित करवाये, तथा न ही किसी प्रकार की अन्य कोई गतीविधि वादी सख्या सात के यहां करे तथा वादी के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की उत्पन्न नही करे। तथा प्रतिवादी सख्या सात को पावन्ध फरमाया जावे कि वादी की भूमि का हिस्सा दर्शाते हुये नक्शा उनमोदित नही करे।

दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। वकील वादी उपस्थित । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से वकील उपस्थित व वकालत नामा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से जवाब दावा पेश नही होने के कारण दिनांक 11.2024 को जवाब बन्द किया ।

पत्रावली में बहस वादी अधिवक्ता की सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद में अंकित तथ्यों दोहराया एवं अंत मे निवेदन किया कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्ध फरमाया ते कि हाल वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा 1956 रकबा 0.28 है०, खसरा न० 1956/5083 कबा 0.01 है० वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर के पश्चिम भाग में लगी मिटटी की डोल को तोडकर वादी की भूमि पर किसी प्रकार से अवैध कब्जा नही करे, न ही किसी प्रकार का नक्शा नुमोदित करवाये, तथा न ही किसी प्रकार की अन्य कोई गतीविधि प्रतिवादी सख्या सात के यहां रे तथा वादी के शान्ति पूर्ण उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। तथा तिवादी सख्या सात को पाबन्ध फरमाया जावे कि वादी की भूमि का कोई हिस्सा दर्शाते हुये नक्शा नमोदित नही करे।

पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकार्ड का आद्योपांत अवलोकन करने व वकील उभयपक्ष की बहस का मनन करने पर हम इस निकर्ष पर पहुॅचे है कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा 1956 रकबा 0.28 है०, खसरा न० 1956/5083 रकबा 0.01 है० वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जयपुर स्थित कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादीगण को वादग्रस्त आराजी में दखल देने का कोई हक व अधिकार प्राप्त है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाना उचित समझते है ।

अतः वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर आदेश दिये जाते है कि वाके ग्राम सांगानेर तहसील सांगानेर जयपुर कि वादग्रस्त आराजी कृषि भूमि खसरा 1956 रकबा 0.28 है०, खसरा न० 1956/5083 रकबा 0.01 है०.भूमि को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त वादग्रस्त आराजी में वादी के कब्जे काश्त में उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करे। व वादी की उक्त भुमि में किसी प्रकार का कब्जा नही करे। उक्तानुसार पृथक से डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 29.11.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर), जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)